संख्या-548/81-2-2021-800(49)/2020

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 08 अप्रैल, 2021

विषय- विन्ध्य टेलीलिंक्स लि0 द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद -अमौली-जोनिहा चौराहा-शहवाजपुर, जोनिहा चौराहा-बंधवा तिराहा-बंधवा-ललौली, बंधवा तिराहा-बहुआ तक की कुल कुल लंबाई 72.50 किमी0 एवं 0.7511 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने के संबंध में। **(प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/अदर्स/33502/2018)**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2430/11-सी/एफपी/यूपी/ अदर्स/ 33502/ 2018, दिनांक 22-03-2021, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या- 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 में विहित व्यवस्थानुसार विन्ध्य टेलीलिंक्स लि0 द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद -अमौली-जोनिहा चौराहा-शहवाजपुर, जोनिहा चौराहा-बंधवा तिराहा-बंधवा-ललौली, बंधवा तिराहा-बहुआ तक की कुल कुल लंबाई 72.50 किमी0 एवं 0.7511 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में शासनादेश सं0-2297/81-2-2020-800(49)/2020, दिनांक 23-12-2020 द्वारा निर्गत सैंद्धांतिक स्वीकृति के आधार पर एतदद्वारा विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।

(2) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड्कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(3) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच. की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर किया जायेगा।

(13) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।

(14) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो

(16) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

(17) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नगत विधिवत स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या- 548(1) /81-2-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वृत्त प्रयागराज।

(3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।

(4)- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फतेहपुर।

(5)- श्री परवेज फारूक अंसारी एरिया मैनेजर विन्ध्य टेलीलिंक्स लि0 कानपुर ।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनुसचिव।